

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रमाणिक: एफन (42)आकाशि/नि.शं./2018/

170

दिनांक:-

13/7/2018

आदेश

राजस्थान की सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1988 तथा तत्संबंधी विधम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-2021 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संघालन हेतु अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संघालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
श्रीमती विद्यावती लक्ष्मी राम फाउंडेशन फॉर साइंस रिसर्च एण्ड सोशल वेल्फेयर, पवार इण्डिया रोड, श्रीगंगानगर।	सुरेन्द्रा कॉलेज, एच.एच. मार्डन, श्रीगंगानगर	महाराज गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- अर्थशास्त्र, अर्थनीतिशास्त्र, द्वितीय साहित्य, भूगोल इतिहास, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोकप्रशासन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, शारीरिक शिक्षा, वैश्वीकरण संकाय- एबीएसटी, इंटरएनल, व्यापसायिक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर एप्लीकेशन। विज्ञान संकाय- जीविकशास्त्र, गणित रसायनशास्त्र, प्रौद्योगिकी, वनस्पतिशास्त्र।

1. संस्था अर्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2021-22 में निर्यातित अधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था विभाग के भावन में संघालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
4. संस्था द्वारा साजधि जग्गा सखि (एक.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा भादा तथा अधिलेख उपलब्ध करावेगी।
6. संस्था संघालित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विश्व महाविद्यालय के प्रकरण में पीपीओआई से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आदर्शित विषयों के व्याख्याता, पुरतकालगण्यक एवं पीपी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अधीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सौदों का अर्पण विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तबनुसार तब संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2018-19 तथा तब में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण दृष्टान्त भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मान्य संघालन विकास मधालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aiche.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी साई वेबपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को गिरत कर दिया जायेगा।

आयुक्ता
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. विशिष्ट सचिव, गाठ उच्च शिक्षा मंत्री महीदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
 4. कुल सचिव, महाराज गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
 5. संघालित संस्था/महाविद्यालय।
 6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 7. रजित पत्रावती।

For Lab Smt. Vijayawanti Labha Ram Foundation.
 For Science Research and Social Welfare
 Authorised Signatory

संयुक्त-निदेशक (निर्वाह)
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर